भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1037

09 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई योजना के अंतर्गत निर्मित आवास

1037 श्री संदोष कुमार पीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या की राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) पीएमएवाई योजना के अंतर्गत कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) पीएमएवाई योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा साझा की गई कुल राशि कितनी है; और

(ङ) इस योजना के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं और इनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि आगे केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 114.84 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और दिनांक 22.01.2026 तक देश भर में 97.02 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरूआत से लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सौंपे गए आवासों के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे किए गए आवासों के साथ-साथ योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

दिनांक 09-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1037 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरूआत से अब तक लाभार्थियों के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/ सौंपे गए आवासों के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे किए गए आवासों के साथ-साथ जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति(संख्या)			पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए आवास (2025-25)	वित्तीय प्रगति (करोड़ रूपये में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण निर्माण कार्य		केन्द्रीय सहायता	
							जारी की गई	उपयोग की गई
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,48,070	18,34,207	11,23,682	7,54,944	24,044.8	22,670.8
2		बिहार	4,45,103	3,72,294	1,98,481	1,27,924	4,651.85	4,041.9
3		छत्तीसगढ़	3,05,910	2,91,215	2,62,437	1,76,002	4,396.13	4,147.3
4		गोवा	3,174	3,174	3,174	2,218	75.14	75.1
5		गुजरात	10,29,497	10,02,277	9,66,065	5,95,573	20,183.98	19,808.5
6		हरियाणा	1,32,846	86,725	73,134	46,026	1,739.01	1,454.2
7		हिमाचल प्रदेश	14,026	12,940	11,914	7,967	226.99	211.7
8		झारखंड	2,43,358	2,10,742	1,65,760	85,325	3,215.78	2,966.0
9		कर्नाटक	5,77,669	4,98,457	3,99,076	2,18,681	7,776.84	7,258.2
10		केरल	1,62,134	1,55,608	1,39,646	65,455	2,499.93	2,384.6
11		मध्य प्रदेश	10,02,259	9,51,660	8,96,760	5,46,046	15,873.71	15,387.1
12		महाराष्ट्र	12,78,999	11,75,695	10,43,061	6,94,988	20,228.64	19,582.6
13		ओडिशा	2,23,972	1,92,718	1,69,067	95,877	2,790.26	2,429.6
14		पंजाब	1,50,610	1,24,216	1,02,370	73,947	2,192.73	1,846.1
15		राजस्थान	3,48,053	3,11,612	2,64,828	1,56,489	5,592.16	5,066.1
16		तमिलनाडु	6,79,186	6,68,510	6,20,093	3,39,491	10,741.94	10,374.7
17		तेलंगाना	3,62,294	2,49,402	2,25,397	1,26,276	3,972.99	3,780.2
18		उत्तर प्रदेश	21,02,327	17,63,737	17,17,547	12,17,010	28,716.78	26,723.4
19		उत्तराखंड	66,577	63,525	51,565	26,416	1,112.75	984.2
20		पश्चिम बंगाल	6,18,380	6,09,513	5,09,483	2,91,055	8,919.47	8,525.8
उप-कुल (राज्य)			1,16,94,444	1,05,78,227	89,43,540	56,47,710	1,68,951.87	1,59,717.9
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,346	11,924	8,471	6,358	201.16	166.2
22		असम	1,87,028	1,73,323	1,44,107	1,06,042	2,483.96	2,286.6
23		मणिपुर	56,047	50,201	22,466	13,719	582.37	468.5
24		मेघालय	7,072	4,125	2,841	1,574	76.70	33.2
25		मिजोरम	39,616	39,123	33,946	22,436	520.36	502.4
26		नागालैंड	31,067	31,060	30,147	27,412	443.36	408.3
27		सिक्किम	299	299	219	160	7.09	4.3
28		त्रिपुरा	90,315	88,468	81,921	34,686	1,363.72	1,254.5
उप- कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			4,24,790	3,98,523	3,24,118	2,12,387	5,678.73	5,124.1

क्र सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति(संख्या)			पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए आवास (2020-25)	वित्तीय प्रगति (करोड़ रूपये में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण निर्माण कार्य		केन्द्रीय सहायता	
							जारी की गई	उपयोग की गई
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	377	377	234	27	3.72	2.9
30		चंडीगढ़	1,278	1,278	1,278	677	28.85	28.9
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	10,367	10,367	9,933	6,185	209.97	195.7
32		दिल्ली	32,075	32,075	32,075	10,747	699.94	699.9
33		जम्मू और कश्मीर	45,112	42,760	35,167	25,576	586.00	434.5
34		लद्दाख	1,434	1,030	968	507	26.74	12.5
35		पुडुचेरी	18,253	18,047	12,543	8,190	252.88	197.9
उप- कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			1,08,896	1,05,934	92,198	51,909	1,808.11	1,572.2
कुल-योग:-			122.28 लाख	114.84 लाख*	97.02 लाख*	59.12 लाख	1.77 लाख करोड़	1.66 लाख करोड़

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.42 लाख)/ निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।